विचारार्थ विषय और संगठन

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में 13 जून, 2005 को की गई थी। आयोग की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा निम्न शब्दों में अभिव्यक्त की गई थी:

"अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए और शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की जाए'।"

आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ को बढ़ाना।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रबंध में सुधार लाना।
- कृषि और उद्योग में ज्ञान प्रयोगों को बढ़ावा देना।
- नागरिकों को एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाप्रदाता के रूप में सरकार के भीतर ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ज्ञान के व्यापक आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को 2 अक्तूबर, 2005 से लेकर 2 अक्तूबर, 2008 तक की 3 वर्ष की निर्धारित समय अवधि प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की दूसरी रिपोर्ट में आयोग द्वारा प्रस्तुत सभी सिफारिशों के बारे में और साथ ही सिफारिशों के पहले भाग पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में एक विहंगावलोकन प्रस्तुत है। 2007 में प्रस्तुत की गई सिफारिशों का पूरा पाठ और साथ ही आयोग परामर्श के ब्यौरे भी इस रिपोर्ट में शामिल हैं।

संगठन

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में इसके अध्यक्ष सहित सात सदस्य शामिल हैं। सभी सदस्य अंशकालिक रूप में अपना काम करेंगे और इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे।

सदस्यों के काम में उनकी मदद के लिए कुछ तकनीकी कर्मचारी होंगे, जिनका नेतृत्व सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में नियुक्त कार्यकारी निदेशक करेंगे। आयोग अपने कार्यों के प्रबंध में सहायता हेतु विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकता है।
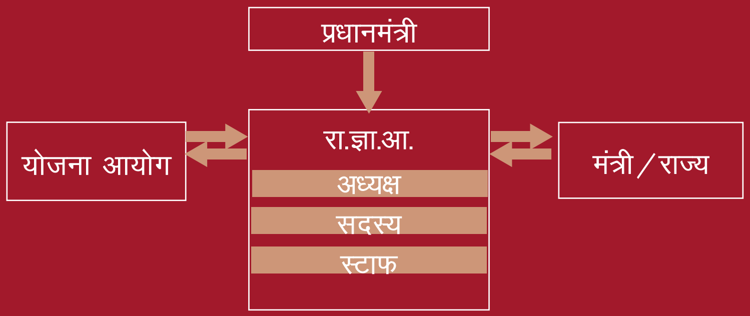
नियोजन और बजट के साथ–साथ संसद संबंधी कार्यों या दायित्वों को संभालने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की नोडल (केन्द्रीय) एजेंसी योजना आयोग को बनाया गया है।